**प्रेस नोट          पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक 17.07.2025**

**स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 03 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड के दौरान व 03 लुटेरे चेकिंग के दौरान कुल 06 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित कुल 23 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।**

**घटना/कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-** दिनांक 15.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री प्रवेश विश्नोई निवासी म0न0 171 गौर सिद्धार्थम प्रताप विपार विजय नगर गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 14.07.2025 की रात्रि में वादी अपनी स्कूटी से अपनी ग्रोसरी की दुकान (कनावनी क्लाउड-9 सोसाइटी) को बन्द करके अपने घर प्रताप विहार जा रहे थे उसी दौरान कनावनी पुस्ता पर पीछे से आकर एक मोटर साइकिल पर सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को धक्का देकर गिरा दिया और वादी के पास से पैसों से भरे थैले को लेकर भाग गये के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर चेकिंग के दौरान दिनांक 16/17.07.2025 की रात्रि को पुलिस मुठभेड़ में 03 अभियुक्त 1. मुकुल पुत्र नेपाल सिंह,2. सुरेन्द्र पुत्र सुक्कन व 3. आकाश पुत्र राजा को 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित कुल 05 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

इसीक्रम में आज दिनांक 17.07.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान लूट की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त 1. नितेश पुत्र भगवानदास निवासी गली नं0 08 भीम नगर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद नगर उम्र करीब 25 वर्ष, 2. विवेक पुत्र धर्मवीर निवासी गांव माईचा थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 20 वर्ष व 3. विशाल पुत्र नेमपाल सिंह निवासी हबीबपुर अंकित गुर्जर के मकान में किरायेदार जिला गौतमबुद्ध नगर मूल पता ग्राम रूपवास पचगई जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 24 वर्ष को छिजारसी कट से कनावनी पुस्ता रोड से जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से लूटे हुये 18 लाख रू0 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

लूट की घटना में संलिप्त कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित कुल 23 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद किया गया।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि इस घटना में शामिल मुकुल व नितेश, मुकदमे के वादी प्रवेश विश्नोई की ग्रोसरी की क्लाउड 9 कनावनी स्थित दुकान पर नौकरी करते है। इन दोनों अभियुक्तों को जानकारी थी कि प्रवेश विश्नोई अक्सर भारी मात्रा में धनराशि लेकर अपनी स्कूटी से आते जाते रहते हैं। यह बात दोनों अभियुक्तों ने अपने 08 अन्य साथी सचिन, आकाश, सुनील, मनप्रीत, विवेक, विशाल, परवेश, सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र को बताकर इस घटना में शामिल कर लिया और प्रवेश विश्नोई की घटना से पूर्व आने जाने वाले रास्तों की रैकी कराकर पहचान करा दी थी, घटना वाले दिन सभी लोग योजनाबद्ध अलग -अलग रास्तों पर खडे होकर प्रवेश के आने का इन्तजार कर रहे थे और सचिन, सुरेन्द्र व आकाश ने कनावनी पुस्ता रोड पर प्रवेश विश्नोई की स्कूटी धक्का मारकर गिराकर गोली मारने की धमकी देकर रूपयों से भरा कट्टा/थैला लूटकर मौके से भाग गये थे काम होने की सूचना घटना में शामिल अपने अन्य साथियों को देकर अलग–अलग रास्तों से अपने साथी विशाल के किराये के मकान हबीपूर नोएडा पहुँचकर लूट की रकम से अपने अपने खर्चे के रूपये लेकर इधर-उधर हो गये थे। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-**

1. मुकुल पुत्र नेपाल सिंह निवासी म0न0 332 गली न0 5 राहुल आटा चक्की के पास भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सुरेन्द्र पुत्र सुक्कन निवासी नट मढईया लेवर चौक के पास गोल चक्कर थाना बीटा 2 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 24 वर्ष।
3. आकाश पुत्र राजा निवासी नट मढईया लेवर चौक के पास गोल चक्कर थाना बीटा 2 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 22 वर्ष।
4. नितेश पुत्र भगवानदास निवासी गली नं0 08 भीम नगर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद नगर उम्र करीब 25 वर्ष।
5. विवेक पुत्र धर्मवीर निवासी गांव माईचा थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 20 वर्ष।
6. विशाल पुत्र नेमपाल सिंह निवासी हबीबपुर अंकित गुर्जर के मकान में किरायेदार जिला गौतमबुद्ध नगर मूल पता ग्राम रूपवास पचगई जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 24 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

- 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, लूट की घटना से सम्बन्धित कुल 23 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-**

- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश पुत्र राजा के विरूद्ध लूट व स्नेचिंग से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम पर 02 अभियोग व गौतमबुद्ध नगर में 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सुलेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पुत्र सुखन उर्फ सुक्कन सिंह के विरुद्ध लूट व स्नेचिंग से सम्बन्धित गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में 03 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर 02 अभियोग तथा गौतमबुद्ध नगर में 07 अभियोग व जनपद बुलन्दशहर में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 13 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल पुत्र नेपाल के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 02 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त नितेश पुत्र भगवानदास के विरूद्ध लूट से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त विवेक पुत्र धर्मवीर के विरुद्ध लूट से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र नेमपाल सिंह के विरूद्ध लूट से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-**

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

## थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 16.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सलमान पुत्र फैय्याज निवासी मदीना मस्जिद 25 फुटा रोड़ अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को निठौरा अन्डर पास चौकी क्षेत्र अशोक

विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त बरामदगी के आधार पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया। मैं पूर्व में भी थाना ट्रोनिका सिटी से वाहन चोरी/बरामदगी के अभियोग में जेल जा चुका हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सलमान पुत्र फैय्याज निवासी मदीना मस्जिद 25 फुटा रोड़ अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में ई-पुलिस स्टेशन पर उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी पर उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। (कुल अभियोग – 03)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।